

अधिसूचना

समस्त रेल कर्मी एवं पास नियमों के अन्तर्गत आने वाले उनके आश्रित परिजन इन औषधालयों में निःशुल्क चिकित्सा एवं औषधि पाने के हकदार हैं। जिसके लिये पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मण्डल के अन्तर्गत कर्मचारी कल्याण निधि समिति द्वारा सम्पोषित एवं संचालित होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक औषधालयों पर न्यूनतम चार घंटे प्रतिदिन कार्य करने के लिये मानदेय के आधार पर अनुभवी/प्रशिक्षित चिकित्सकों की आवश्यकता है। औषधालय की स्थापना निम्न पर है।

होम्योपैथिक - इज्जतनगर -1, फतेहगढ़ -1, पीलीभीत -1, कासगंज -1 (कुल 04)

आयुर्वेदिक - इज्जतनगर -1 (कुल 01)

सेवा संबंधी शर्तें निम्नवत हैं-

1-इंगेजमेंट पूर्णतः अस्थायी होंगे।

2-इंगेजमेंट प्राप्त चिकित्सक को रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या सं० इ (डब्लू) 2022/आई एस एम-5 दिनांक 16.02.2023 के अनुसार रु०-37500/- मात्र मासिक मानदेय देय होगा।

3-प्रतिदिन न्यूनतम चार घंटे कार्य करना होगा। प्रातः 9.00 बजे से 12.00 बजे तक सायं 16.30 बजे से 17.30 बजे तक (राष्ट्रीय अवकाश व रविवार को हेल्थ यूनिट बंद रहेगा।)

4-एक बार में एक वर्ष से अधिक के लिये इंगेजमेंट नहीं दिया जायेगा। कार्य सन्तोष जनक पाये जाने पर इंगेजमेंट की अवधि बढ़ायी जा सकती है।

5-70 वर्ष की आयु होने पर इंगेजमेंट प्राप्त चिकित्सकों की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

6-उक्त इंगेजमेंट "कर्मचारी कल्याण निधि समिति" द्वारा किया जायेगा। इंगेज किये गये चिकित्सकों को रेल कर्मचारी नहीं माना जायेगा और न ही रेलकर्मियों को प्राप्त अन्य कोई सुविधा इनको देय होगी। चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

7-कोई टीए/डीए या अन्य भत्ते कार्यभार ग्रहण करने के लिये स्वीकार्य नहीं होंगे।

8-कोई पास/पीटीओ देय नहीं होगा।

9-किसी प्रकार का आरक्षण लागू नहीं है।

10-बिना कोई कारण बताये इंगेज्ड चिकित्सा परामर्शदाता की सेवा प्रशासन द्वारा 14 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकेगी।

11-होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति चिकित्सा की आवश्यकतानुसार "मण्डल कर्मचारी कल्याण निधि समिति" द्वारा की जायेगी।

12-अनुबंधित चिकित्सक इस रेलवे की सी.एस.बी.एफ.समिति/एमएलजी या डीएसबीएफसी द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार अथवा ऊपर बताई गई शर्तों के अनुसार निर्णयों का पालन करेंगे।

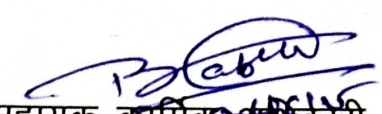
पात्रता संबंधी अर्हतायें:-

1-अभ्यर्थी को होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक की मान्यता प्राप्त केन्द्रीय अथवा राज्य परिषद् द्वारा पंजीकृत होना चाहिए।

2-उक्त वर्णित शर्तों के अधीन कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 18.07.2025 तक सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों (मैट्रिक, इंटर और सम्बन्धित डिग्री/डिप्लोमा कोर्स के प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र) स्वहस्ताक्षरित सत्यापित प्रतियों एवं दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ मण्डल रेल प्रबन्धक (कार्मिक) पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण-पत्र आदि के साथ आवेदन कर सकते हैं।

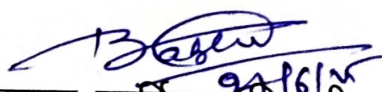
3-आवेदक को बी.एच.एम.एस.(इंटरनशिप सहित) उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा पंजीकरण की तिथि से पाँच साल के अनुभव के साथ डी.एच.एम.एस. उत्तीर्ण होना चाहिए।
आवेदकों के पास चिकित्सा परामर्श हेतु वैध पंजीकरण नं० अनिवार्य होना चाहिये।

यह जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के वेबसाइट www.ner.indianrailway.gov.in पर भी उपलब्ध है।


सहायक कार्मिक अधिकारी - II
इज्जतनगर

प्रतिलिपि:-

- 1-मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी/गोरखपुर को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु।
- 2-मण्डल मंत्री/एन०ई०आर०एम०सी०, इज्जतनगर।
- 3-मण्डल मंत्री/एससी० एसटी०/ओबीसी, एसो०, इज्जतनगर।
- 4-नोटिस बोर्ड।


सहायक कार्मिक अधिकारी - II
इज्जतनगर

होम्योपैथिक / आयुर्वेदिक चिकित्सकों हेतु आवेदन पत्र

फोटो स्वप्रमाणित

1-नाम-

2-पिता/पति का नाम-

3-जन्म तिथि-

4-शैक्षिक योग्यता-

(डिप्लोमा / डिग्री) प्रमाण पत्र संलग्न करें।

5-इंगेजमैन्ट हेतु वाँछित स्टेशन- इज्जतनगर / फतेहगढ़ / पीलीभीत / कासगंज

(वाँछित स्टेशन को टिक करें)

6- विद्यालय / संस्था का नाम-

7- वर्तमान पता-

8-स्थायी पता-

9-मोबाईल नं०-

10-ईमेल आई डी-

11-अनुभव का विवरण-

हस्ताक्षर

दिनांक-

नोट- दो फोटो स्वप्रमाणित संलग्न करें।